विनोपित 29/11/2021

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियरम.प्र.

निगरानी = 2726/2018/ नरसिंहपुर/भू.रा

श्री देव कमलानारायण, राम, जानकी लक्ष्मण जी मंदिर

कन्देली सरवराहकार- सुरेन्द्र कुमार त्रिवेदी निवी राममंदिर

सुनवाई कन्देली नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर ......आवेदक

श्री लखन सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 04/05/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15/05/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

नर्मदा डेव्हलपर्स पार्टर1:- राजीव सुहाने आ. अशोक कुमार सुहाने

2:-घनश्याम यादव आत्मज मनमोहन यादव निवासी मकान नबंर 58

रोटरी पार्क के बाजू में, हाउसिंग बोर्ड कालोनी नरसिंहपुर

तहसील व जिला नरसिंहपुर ......अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.59

आवेदक वर्तमान निगरानी राजस्व अपील क्रं. 26अ/70 सन् 16-17 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति पर पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20/3/2018 से पीड़ित होकर प्रस्तुत करता हूँ :-

निगरानी के तथ्य

Lakhan Singh Dhakar
Advocate

1:- यह कि आवेदक एक निजी न्यास है जिसके स्वामित्व की भूमियां मौजा कन्देली नं.व. 36 प.ह.नं. 17/41 तहसील व जिला नरसिहपुर में स्थित खसरा नबंर 273, 276, 277, 278/1, 278/2, 279/, 287, 290, 291, 292 कुल रकवा 5.985 हेक्टेयर है, जिसके दक्षिण में सींगरी नदी, उत्तर में नाला, पूर्व में केन्द्रीय जेल, पश्चिम में खसरा नबंर 275 की भूमि है । जो कि पूर्व स्वामी योगेन्द्र, अमित आत्मज शारदा प्रसाद प्रजापति की थी जिन्होने खसरा नबंर 275/1, 275/3, 275/4, 275/5, कुल रकवा 2.025 हेक्टैयर बैनामा से अनावेदकगण नर्मदा डेव्हलपर्स को विक्रय कर दी है जिनके द्वारा अवैधानिक रूप से निजी मंदिर की भूमि खसरानबंर 273 मे से अवैधानिक रूप से 26 फुट चौड़ी सड़क निर्माण का प्रयास किया गया था । तब आवेदक/निजी मंदिर की

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2726/2018/नरसिंहपुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि व्यवहार न्यायालय से इस प्रकरण की प्रचलनशीलता से स्थगन आदेश जारी न होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही को स्थगित किया जाना या अपील खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं मानते हुए आवेदक का आवेदन दिनांक 28.11.2017 को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण धारा-5 के जवाब हेतु नियत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निराकरण अभी गुण-दोष पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इस निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	